



HP State Pollution Control Board
HIM Parivesh Bhawan, Phase-III, Below BCS, New Shimla-09
Phone No. 0177-2673766, 2673020 FAX-0177-2673018



Notice regarding registration of Producers, Importers and Brand Owners (PIBOs) and Plastic Waste Processors (PWPs) on Centralized Extended Producer responsibility (EPR) Portal for Plastic Packaging.

Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEFCC), Govt. of India notified guidelines on Extended Producer Responsibility (EPR) for Plastic Packaging vide fourth amendment to Plastic Waste management (PWM) Rules on February 16, 2022. Producers, Importers & Brand-Owners (PIBOs) and Plastic Waste Processors (PWPs) are required to register on centralized EPR Portal developed by Central Pollution Control Board (CPCB) to fulfil their EPR liability as per the notified EPR Guidelines.

The PIBOs are required to obtain registration from CPCB if operating in more than two States/UTs and from concerned State Pollution Control Board (SPCB) /Pollution Control Committee (PCC) if operating in one or two States/UTs only. Also, PWPs are required to obtain registration from the concerned SPCBs/PCCs.

The EPR Portal (<https://eprplastic.cpcb.gov.in/#/plastic/home>) was launched on April 05, 2022 and 36,230 PIBOs and 2351 PWPs have been registered on the Portal on date. However, it is observed that several PIBOs & PPWPs are still operating their business without obtaining registration from CPCB/SPCB/PCC (as applicable) which is in violation of provisions of PWM Rules 2016 (as amended).

This notice is being issued to inform all the PIBOs & PWPs to obtain registration from CPCB/SPCB/PCC (as applicable) in accordance with provisions of PWM Rules, 2016. PIBOs & PWPs who have not yet applied for registration are required to submit registration application complete in all respects on the EPR Portal immediately. Guidance Manual and the Standard Operating Procedure (SOP) for registration of PIBOs/PWPs, uploaded on EPR Portal, may be referred to for the purpose.

Necessary action, as deemed appropriate under the Environment (Protection) Act, 1986, including levying of Environmental Compensation and closure of operations, shall be taken against defaulters.

(Anil Joshi, IFS)
Member Secretary
H.P. State Pollution Control Board
Him Parivesh, Phase- III, New Shimla-9



हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
हिम परिवेश भवन, फेज -3, बीसीएस, न्यू शिमला-09
फोन नंबर 0177-2673766, 2673020 FAX-0177-2673018



प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए केंद्रीकृत विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) पोर्टल पर उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (पीआईबीओ) और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसर (पीडब्ल्यूपी) के पंजीकरण के संबंध में सूचना

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), भारत सरकार, ने 16 फरवरी, 2022 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्लूएम) नियमों में चौथे संशोधन के माध्यम से प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (ईपीआर) पर दिशानिर्देश अधिसूचित किए। उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-मालिकों (पीआईबीओ) और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसर (पीडब्ल्यूपी) को अधिसूचित ईपीआर दिशानिर्देशों के अनुसार अपने ईपीआर दायित्व को पूरा करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा विकसित केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है।

यदि पीआईबीओ दो से अधिक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में काम कर रहे हैं तो उन्हें सीपीसीबी से और केवल एक या दो राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में काम करने पर संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) से पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है। इसके अलावा, पीडब्ल्यूपी को संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी से पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है।

ईपीआर पोर्टल (<https://eprastic.cpcb.gov.in/#/प्लास्टिक/होम>) 05 अप्रैल, 2022 को लॉन्च किया गया था और आज तक पोर्टल पर 36,230 पीआईबीओ और 2351 पीडब्ल्यूपी पंजीकृत किए गए हैं। हालांकि, यह देखा गया है कि कई पीआईबीओ और पीडब्ल्यूपी अभी भी सीपीसीबी/एसपीसीबी/पीसीसी (जैसा लागू हो) से पंजीकरण प्राप्त किए बिना अपना व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, जो पीडब्लूएम नियम 2016 (संशोधित) के प्रावधानों का उल्लंघन है।

यह नोटिस सभी पीआईबीओ और पीडब्ल्यूपी को पीडब्लूएम नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण फॉर्म सीपीसीबी/एसपीसीबी/पीसीसी (जैसा लागू हो) प्राप्त करने के लिए सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पीआईबीओ और पीडब्ल्यूपी जिन्होंने अभी तक पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें ईपीआर पोर्टल पर सभी प्रकार से पूर्ण पंजीकरण आवेदन तुरंत जमा करना होगा। इस उद्देश्य के लिए ईपीआर पोर्टल पर अपलोड किए गए पीआईबीओ/पीडब्ल्यूपी के पंजीकरण के लिए मार्गदर्शन मैनुअल और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का संदर्भ लिया जा सकता है।

पर्यावरण (संरक्षण अधिनियम), 1986 के तहत उचित समझी जाने वाली आवश्यक कार्रवाई, चूककर्ताओं के खिलाफ की जाएगी, जिसमें पर्यावरणीय मुआवजा लगाना और परिचालन बंद करना शामिल है।

(अनिल जोशी, आईएफएस)

सदस्य सचिव

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
हिम प्रवेश, फेज- III, न्यू शिमला-9